

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, बारां

क्रमांक-एफ-4(5)()राजस्व/2023/

दिनांक

2023

--: आदेश :-

अधिशायी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शाहबाद द्वारा खण्ड शाहबाद में (1.चौराखाडी से नयागांव वाया महेशपुर 2. ढिकवानी से गाडर-ईसाटोरी 3. गांजन से सुवास 4. रामगढ माताजी मंदिर परिक्रमा मार्ग की चौडाईकरण 5. शाहबाद से राजपुर 6. भंवरगढ, नाहरगढ एमडीआर-47 पर सुदृढिकरण एवं चौडाईकरण एवं उन्नयीकरण 7. परानियां से छतरगंज सडक निर्माण कार्य कि०मी० 0/00 से 6/250) सडकों के निर्माण हेतु वन विभाग की कुल 32.19 है० भूमि आने के कारण वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु गैर वन भूमि आवंटन की मांग करने पर तहसीलदार शाहबाद द्वारा पटवार मण्डल सेमलीफाटक, ग्राम-रानीपुरा के आराजी ख.न. 79 रकबा 18.00 बीघा, खसरा नं. 81 रकबा 21.03 बीघा, ख.न. 16 रकबा 16.15 बीघा, ख.न. 244 रकबा 12.19 बीघा, ख.न. 187 रकबा 12.05 में से 12.00 बीघा ख.न. 232 रकबा 42.05 बीघा, ख.न. 287 रकबा 27.09 बीघा, ख.न. 33 रकबा 4.10 बीघा में से 3.09 बीघा, ख.न. 188 रकबा 21.10 बीघा किस्म गै० मु० एवं ख.न. 201 रकबा 25.14 बीघा किस्म गै० मु० पहाडी कुल किता 9 कुल रकबा 201.04 बीघा अर्थात 32.19 है० भूमि प्रस्तावित करने पर उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद द्वारा उक्त भूमि वन विभाग को आवंटन किये जाने की अनुशंसा की है। जिस पर वन विभाग से उप वन संरक्षक, बारां द्वारा सहमति प्रदान की है।

शासन विशिष्ट सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक पत्र 6(262)राज०-3/2022 दिनांक 12.01.2023 द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ प्रस्तावित 32.19 है० राजकीय सिवायचक भूमि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 के तहत वन विभाग को निशुल्क आवंटन/हस्तांतरण किये जाने की राजकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः शासन विशिष्ट सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक पत्र 6(262)राज०-3/2022 दिनांक 12.01.2023 से प्राप्त राजकीय स्वीकृति के क्रम में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 के तहत एवं अधिशायी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शाहबाद की मांग, उप वन संरक्षक, बारां की सहमति तथा उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार, शाहबाद की अनुशंसा के आधार पर पटवार मण्डल सेमलीफाटक, ग्राम-रानीपुरा के आराजी ख.न. 79 रकबा 18.00 बीघा, खसरा नं. 81 रकबा 21.03 बीघा, ख.न. 16 रकबा 16.15 बीघा, ख.न. 244 रकबा 12.19 बीघा, ख.न. 187 रकबा 12.05 में से 12.00 बीघा ख.न. 232 रकबा 42.05 बीघा, ख.न. 287 रकबा 27.09 बीघा, ख.न. 33 रकबा 4.10 बीघा में से 3.09 बीघा, ख.न. 188 रकबा 21.10 बीघा किस्म गै० मु० एवं ख.न. 201 रकबा 25.14 बीघा किस्म गै० मु० पहाडी कुल किता 9 कुल रकबा 201.04 बीघा अर्थात 32.19 है० भूमि को वन विभाग के नाम निशुल्क आवंटन/हस्तान्तरण किया जाता है।

नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

Sd
(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,
बारां

क्रमांक-एफ-4(5)(5)राजस्व/2023/ 401 - 09

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक 20.01. 2023

1. शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त महोदय, कोटा संभाग, कोटा।
3. उप वन संरक्षक, बारां।
4. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बारां।
5. अधिशायी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड शाहबाद।
6. उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद।
7. तहसीलदार, शाहबाद।
8. तहसीलदार, शाहबाद को भेजकर लेख है कि आवंटन आदेश में अंकित भूमियों पर संबंधित को दखल दिया जाकर दखलनामे की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा आवंटित भूमियों का नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
9. रक्षित पत्रावली।

Sd
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बारां